कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांकः भ–113/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–13(गाजि) 1108 दिनांकः नवम्बर 18 ,2013

सेवा मे,

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स अग्रवाल एशोसियेटस प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लाट न0–03 इण्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हेटा गाजियाबाद मे प्रस्तावित एल0आई0जी0 एवं ई0डब्लू0एस (टावर–11,12,13,14,15,16,17, 18, व न्यम एल0आई0जी0/ईडब्लूएस) की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति एवं न्यू एल0आई0जी0 ग्रुप हाउसिंग भवन आपत्ति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 233/मा0प्लान/13–14 दिनांकः 05–09–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आवेदक को प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन कर अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद अपनी आख्या दिनांकित 0[illegible]–10–2013 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद कार्यालय को दिनांकः 15–11–2013 को उपलब्ध करायी गयी (आख्या पर प्राप्ति दिनांकः 15–11–2013 के अनुसार) तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या अदिनांकित अधोहस्ताक्षरी को दिनांकः 16–11–2013 को उपलब्ध करायी जिनका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विलम्ब से सम्बन्धी प्रकरण मे अलग से कार्यवाही की जा रही है व भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–नेट प्लाट एरिया–7,893.660 वर्ग मी0।

2–अनुमन्य स्टिल्ट/ग्राउण्ड कवरेज–3048.21 वर्ग मी0।

3–प्रस्तावित ग्राउण्ड कवरेज–2679.670 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित भवनों का विवरण निम्नवत है–

कमांक	नाम ब्लाक	तलो की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी0		स्टेयर संख्या एवं चौडाई	ऊँचाई मी0 मे
			भूतल	कुल		
1	एलआईजी–11	स्टिल्ट एवं 04	159.496	654.541	1.50/1.25	13.90
2	एलआईजी–12	भूतल एवं 03	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
3	एलआईजी–13	भूतल एवं 03	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
4	एलआईजी–14	भूतल एवं 03	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
5	एलआईजी–15	स्टिल्ट एवं 04	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
6	एलआईजी–16	भूतल एवं 03	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
7	एलआईजी–17	भूतल एवं 03	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
8	एलआईजी–18	भूतल एवं 03	159.496	637.984	1.50/1.25	11.65
9	न्यू प्रस्ता0 एलआईजी/ईडब्लूएस	स्टिल्ट एवं 08	1244.206	10166.632	1.50/1.25	25.65
10	न्यू एलआईजी	भूतल एवं 03	159.496	634.984	.90 मीटर	11.65

भवन का अधिभोग विवरणः–

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4,) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 12 मी0 प्रदर्शित किया गया है।

2–प्रवेश एवं निकास द्वारः– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 06 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

3– सैटबेकः– एलआईजी/ईडब्लूएस 08 तल के टावर मे 09 मीटर चारो और है एवं शेष टावर टावरों मे 06–06 मीटर चारो और उपलब्ध है। प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन मे सैटबेक को हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये सैटबेक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

4– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवनों मे तालिका के अनुसार स्टेयरकेश प्रस्तावित है, जिसमे **कमांक–10 मे अंकित न्यू एलआईजी मे स्टेयर की चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार न्यूनतम 1.25 मीटर वॉच्छनीय है जबकि मानचित्रों मे .90 मीटर दशाई गयी है जो मानको के अनुसार नही है। शेष कमांक–1 से 09 मे अंकित प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयर की चौडाई 1.50 मी0 एवं एक 1.25 मी0 मानको के अनुसार प्रस्तावित है,** जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

5– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–टेरिस टैंकः प्रश्नगत प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–होजरीलः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

3–डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे डाउनकामर एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– भवनो के स्टिल्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल ब्रिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

8–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरंक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

विशेष उल्लेखनीय है कि कमांक–10 मे अंकित न्यू एलआईजी मे स्टेयर की चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार न्यूनतम 1.25 मीटर वॉच्छनीय है जबकि मानचित्रों मे .90 मीटर दशाई गयी है, जिससे आकस्मिकता के समय प्रभावितों को निकाला जाना सम्भव नही हो सकता जो मानको के अनुसार नही है। शेष कमांक–1 से 09 मे अंकित प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयर की चौडाई 1.50 मी0 एवं एक 1.25 मी0 मानको के अनुसार प्रस्तावित है

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अग्रवाल एशोसियेटस प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लाट न0–03 इण्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हेटा गाजियाबाद मे **प्रस्तावित एल0आई0जी0 एवं ई0डब्लू0एस के टावर–1 से टावर–9 तक के ग्रुप हाउसिंग भवनो के निर्माण हेतु अस्थाई/ प्रोवीजनल अग्निशमन प्रोवीजनल** अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः **अनुमोदित** मानचित्र 18 अदद।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

प्रतिलिपिः1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–मैसर्स अग्रवाल एशोसियेटस प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लाट न0–03 इण्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हेटा गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।